MARKING SCHEME OF BSEH SAMPLE PAPER MARCH 2024

SUBJECT : PUBLIC ADMINISTRATION

CLASS : XII SUBJECT CODE : 598

Q. NO	EXPECTED ANSWER /VALUE POINTS	MARKS
1	राष्ट्रपति	1
2	फिफनर	1
3	नई दिल्ली	1
4	राष्ट्रपति	1
5	5 वर्ष	1
6	राष्ट्रपति	1
7	उपर्युक्त सभी	1
8	उपर्युक्त सभी	1
9	सर्वोच्च न्यायालय	1
10	उपर्युक्त सभी	1
11	मंसूरी	1
12	राष्ट्रपति	1
13	सीधी भर्ती	1
14	मुख्यमंत्री	1
15	5 वर्ष	1
16	राजस्थान में 2अक्टूबर,1959.	1
17	संसद	1
18	A और R दोनों सहीं हैं ,किन्तु A की सही व्याख्या R है	1
19	A और R दोनों सहीं हैं ,किन्तु A की सही व्याख्या R है	1
20	A और R दोनों सहीं हैं ,किन्तु A की सही व्याख्या R है	1
21	वास्तविक कार्यपालिका वह है जो वास्तविक रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। भारत में प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद और अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका हैं ।	2
22	केन्द्रीय सरकार की दुर्बलता । केंद्र तथा इकाईयों में विवाद । प्रशासनिक एकरूपता का अभाव ।	1 1
23	1 .नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना । 2. संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना ।	1 1
24	संघात्मक विभाग भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित किए जातें हैं ।ये विभाग कई उप विभागों में बटें होते हैं ,इसीलिए इन्हें बहु विभाग भी कहते हैं ।	2
25	1. लोक निगमों का ससे बड़ा गुण इसकी स्वायतता एवं लोचशीलता है । 2. निगम व्यवस्था में सरकार की केवल व्यापारिक एवं तकनीकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है ।	1 1
26	सरंचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता सकता है :-	

	1.एकात्मक विभाग :- जो किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं । 2. संघात्मक विभाग :- जो भिन्न भिन्न प्रकारे के उद्देश्यों के लिए गठित किए जाते हैं ।	1 1
27	1 . भर्ती, संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन हेतु योग्य उमीदवारों को आकृषित किया जाता है । 2. भर्ती की प्रक्रिया में योग्यता का निर्धारण प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है ।	1 1
28	भर्ती दो प्रकार की होती है - प्रत्यक्ष भर्ती तथा अप्रत्यक्ष भर्ती	2
29	पदोन्नति के योग्यता का सिधांत सिर्फ योग्यता ,प्रतिभावान तथा सक्षम उम्मीदवारों को पदोन्नत करने पर बल देता है ।यह सिधांत वरिष्टता के विपरीत है ।	2
30	1. भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी मामलों में । 2. नियुक्ति ,पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के सिधांत । 3. पेंशन संबंधित मामले में । 4. सेवा की हैशियत से सरकार के विरुद्ध किये गए सभी दावे ।	1 1 1 1
31	**पदच्युति :-** नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोशों की तरह दो आधारों **पर :- 1** प्रमाणित दुर्व्यवहार 2 अयोग्यता इन उपरोक्त आधारों का प्रस्ताव एक ही अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है । क्योकि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया,निरीक्षण और दुर्व्यवहार का प्रमाण तथा अयोग्यता की प्रक्रिया संसद द्वारा निश्चित किया जाता है।	4
32	1. सरकार संसद के स्वीकृति के बिना कोई टैक्स नही लगा सकती । 2. वित् विधेयक पर संसद की स्वीकृति ली जाती है । 3. संसद को वितीय प्रशासन संबंधी अनियमितता के बारे में जाँच-पड़ताल करने की शक्ति प्राप्त है । 4. विनियोग विधेयक पर संसद कि स्वीकृत अनिवार्य है । 5. संसद कि स्वीकृति के बिना सरकार संचित निधि से तथा आकस्मिक निधि से धन नहीं निकल सकती । 6. संसद की स्थायी समितियों द्वारा बजट पर नियन्त्रण रखा जाता है । 7. पूरक अनुदान ,अतिरिक्त अनुदान पुनरविनियोगअनुदान जैसी मांगों पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है । 8. संसद नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के माध्यम से नियंत्रण रखती है ।	1 1 1 1
33	1. वह भारत का नागरिक हो । 2. वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो । 3. वह किसी उच्च न्यायायलय में कम से कम 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो । 4. वह राष्ट्रपति कि दृष्टि में कोई प्रसिद्ध विधिवेता हो ।	1 1 1 1
34	1 प्रश्न पूछकर । 2 निगम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन कर के । 3 निगम के संबंध में आधे घंटे की बहस की मांग कर के । 4.किसी भी लोक निगमों से संबधित मामलों पर प्रस्ताव पेश कर के तथा उस पर विचार	4

	करके । 5 निगम के लेखा प्रतिवेदनों पर वाद- विवाद करके । 6 किसी अत्यावश्यक सार्वजानिक महत्व के विषय पर दो घंटे के वाद - विवाद की मांग करके । 7 संसदीय समितियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर बहस कर के । 8 निगमों के संबंध में उस समय हस्तक्षेप करके जब उन्हें धन कि आवश्यकता पडती है ,और जो संसद की स्वीकृति के बिना उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता ।	
35	1. **शक्तिशाली राज्य की स्थापना** ;- संघ सरकार स्थापित होने से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली संघ राज्य कायम हो जाता है । 2. **सरकार में अधिक कार्यकुशलता** :-संघ सरकार में केंद्र राज्यों में शक्तियों तथा कार्य कक्षेत्रों का बटवारा हो जाने से सरकारों कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ जाती है । 3. **बड़े राज्यों के लिए उपयोगी** :-संघ सरकार अधिक जनसंख्या तथा विभिन्नता वाले राज्यों के लिए उपयुक्त है । 4. **अधिक लोकतन्त्रीय** :- इसमें लोकतंत्र की संस्थाएँ अधिक तथा प्रत्येक स्तर पर संगठित की जाती हैं ।	1 1 1 1
36	प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य **मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में:- वह** मंत्रियों की नियुक्ति करता है ,मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों में एकता और सामंजस्य बनाए रखने का दायित्व उसी का है। **प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में**:- प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ शासन के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के विभिन्न विनिश्चय और विधि निर्माण के प्रस्ताव के संदर्भ में राष्ट्रपति को सूचित करें प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्ति करता है और लोकसभा को भंग करता है । **प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता के रूप में :-** प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होने के कारण संसद को नेतृत्व प्रदान करता है। लोकसभा की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम रखने का दायित्व उसी का है । वह सदन में शासन का प्रमुख वक्ता होता है । **प्रधानमंत्री विदेश नीति के निर्माता के रूप में** :- देश की विदेश नीति का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है । विदेश के साथ संबंध स्थापित करना, शांति , व्यापारिक और सांस्कृतिक सन्धियाँ करना उसकी इच्छा अनुसार ही संभव है । **प्रधानमंत्री आर्थिक नीति निर्माता के रूप में** :- भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, अत: नियोजित विकास उसके मार्गदर्शन में होता है । बजट निर्माण में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है राज्यों को वितीय सहायता देने संबंधी अंतिम निर्णयों के पीछे प्रधानमंत्री का ही परामर्श मुख्य होता है । **प्रधानमंत्री जनमत के नेता के रूप में** :- प्रधानमंत्री केवल सतारूढ़ दल का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जनमत का नेता होता है अतः जनमत के विश्वास, बहुमत और लोकप्रियता को अपने पक्ष में कर वह अत्यंत शक्तिशाली भूमिका का	6

	निर्वहन करता है । **अथवा** **नीति निर्धारण :-** मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और तथा अन्य समस्याओं का समाधान राष्ट्र की नीति का निर्धारण करना और देश का विकास करना है । **विदेश से संबंध स्थापित करना** :-मंत्रीमंडल ही अपनी विदेश नीति के अनुसार दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता हैऔर दूसरे देशों से सन्धियाँ और समझौते करता है i युद्ध और शांति की घोषणा के बारे में निर्णय मंत्री-परिषद द्वारा किया जाता है । **वैधानिक शक्तियां** ;- मंत्रिमंडल को वैधानिक शक्तियां भी प्राप्त हैं । संसद में अधिकतर विधेयक मंत्री-परिषद द्वारा पेश किए जाते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कानून बनते हैं। **वित्तीय शक्तियां**:- बजट के बारे में सबसे पहले मंत्रिमंडल में निर्णय होता है और संसद में बजट और अन्य धन विधेयक मंत्री ही पेश करते हैं नई करों का प्रस्ताव, पुराने करो में कमी,अथवा बढ़ोतरी या उन्हें समाप्त करने के प्रस्ताव आदि विधेयक मंत्री परिषद द्वारा निश्चित किए जाते हैं । **नियुक्तियां** :-देश में की जाने वाली बड़ी नियुक्तियां जैसे राज्यपाल, न्यायाधीश, राजदूत, विभिन्न अध्यक्ष एवं सदस्य , चुनाव आयुक्त आदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है । **संकटकालीन स्थिति का निर्णय** :- संकट की स्थिति पैदा होने की संभावना या पैदा हो चुकी हो इसका निर्णय मंत्रीमंडल ही करता है । इस प्रकार व्यवहार में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल ही करता है।	6
37	पंचायती राज का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है :- **जनता का अपना शासन** :- गाँव का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होने के कारण ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है। ग्राम पंचायत प्रशासन संबंधी ,समाज कल्याण संबंधी, विकास संबंधित तथा न्याय संबंधी सभी कार्य पंचायत करती है। इस प्रकार वास्तविक रूप में स्वयं अपने ऊपर शासन करते हैं और अपने शासन से अच्छा कोई शासन नहीं होता । **अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान** :-पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण अपने कर्तव्यों के बारे में और अधिकारों के बारे में पहले की अपेक्षा बहुत सचेत हैं और अब गांव ग्राम सभा के बैठक में भाग लेकर ग्राम विकास संबंधी और चुनाव संबंधी दिलचस्पी लेते हैं । **प्रशासन की शिक्षा:-** पंचायती राज गांव के अशिक्षित और कम शिक्षा प्राप्त लोगों को प्रशासन की शिक्षा देने का सबसे अच्छा साधन है ।पंचायती राज गांव के लोगों को नियम बनाने मे, उन्हें लागू करने,विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने और न्याय करने का भी अवसर देता है । **कृषि का विकास व आर्थिक उन्नति** :-पंचायती राज की स्थापना से गांव में कृषि का बहुत अधिक विकास हुआ है । पंचायती राज की संस्थाएं सरकारी अधिकारियों व् कर्मचारियों की सहायता से किसानों को अच्छी किस्म के बीज प्रदान करती हैं, वैज्ञानिक कृषि और नवीनतम कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देती रहती हैं । यह सब पंचायती राज के फलस्वरुप की संभव हुआ है। **अथवा** **गठन**:- हरियाणा के प्रत्येक गांव में जिनकी संख्या 500 या अधिक है,में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है । इससे कम जनसंख्या वाले गांव को इस उद्देश्य के लिए किसी साथ वाले गांव से	6 2

	मिलकर उनकी सांझी ग्रामसभा की स्थापना की व्यवस्था है ।ग्राम के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है ,ग्राम सभा के सदस्य होते हैं । ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है । वह ग्राम सभा की वर्ष में दो बार बैठक बुलाता है । ग्राम सभा के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का 1/10 भाग निश्चित की गई है । ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां 1. ग्राम सभा अपनी आमदनी के साधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर के लिए बजट पास करती है । 2. ग्राम पंचायत अपने कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप देने के लिए कई प्रकार के टैक्स और शुल्क लगाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसकी स्वीकृति ग्राम सभा से ली जाती है । 3. ग्राम सभा के प्रधान, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है । 4. ग्राम ग्राम सभा अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करते जिन्हें ग्राम पंचायत कार्यरूप प्रदान करती है । 5. ग्राम सभा का महत्वपूर्ण कार्य पंचायत द्वारा किए गए खर्च की जांच रिपोर्ट पर विचार करना है । ग्राम पंचायत एक वर्ष में जो खर्च करती है, उसका साल के अंत में ऑडिट होता है ,जिसकी एक रिपोर्ट ग्राम सभा के पास भेज दी जाती है । ग्राम सभा दूसरी मीटिंग में उसे रिपोर्ट पर विचार करती है ।	4
38	**कार्यकुशलता में वृद्धि:-**प्रशिक्षण से व्यक्ति में कार्य को ठीक प्रकार से करने की कला का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि इससे उसमें कुशलता का भी अधिक से अधिक विकास होता है । यह विकास सहज रूप से कार्य कुशलता की वृद्धि का संकेत देता है । **उत्तरदायित्व का विकास** :- लोक सेवाओं में प्रशिक्षण एक ऐसी भावना को परिलक्षित करता है जिसके द्वारा लोक सेवक के मन में स्पष्ट रूप से सजग उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है । **कार्य करने की कला का ज्ञान :-**प्रशिक्षण का उद्देश्य सही रूप से एक प्रकार के कार्य को करने की जिज्ञासा और मनोवृत्ति को सबल बनाता है ।प्रशिक्षण उस कला को सिखाने तथा ग्रहण करने के अवसर देता है जिससे किसी कार्य को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होता है । **वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाना** :- इसका अभिप्राय यह है कि कार्य जिस प्रक्रिया से में संपन्न होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भी विरोध या गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए । वह प्रक्रिया सम्बन्धित ज्ञान उसमें वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास करता है , जिससे कि हर वस्तु और विषय के विश्लेषण की सहज भावना संजीव होती है । **लचीलापन विकसित करना** :-विभिन्न सरकारी विभागों की नीति और कार्यक्रमों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों में ऐसा लचीलापन विकसित करना है । **लोक सेवकों का निर्माण** ;-प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना जो प्रशासन के कार्य में सुस्पष्ट ला सके । **अथवा** **अनुभव द्वारा प्रशिक्षण** :- जब कोई कर्मचारी अपने कार्य से अनुभव के द्वारा कुछ सीखता है तो उसे अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण कहते हैं ।इस तरह वे अपने काम के अनुभव से कुछ सीखते	6 6

	रहते हैं । समय बीतने के साथ-साथ व्यक्ति प्रशासन की तकनीकें सीखता रहता और अपने कार्य शैली में सुधार करता रहता है । **सम्मेलन द्वारा प्रशिक्षण** ;- प्रशिक्षण की यह पद्धति बहुत प्रचलित है । विभागों से चुने हुए प्रशिक्षणार्थियों का ग्रुप सम्मेलन में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करता है प्रशिक्षणार्थी आपस में एक दूसरे से विचारों व अनुभव से कुछ सीखते हैं । **संचार द्वारा प्रशिक्षण** :-प्रशिक्षण की इस विधि में कर्मचारियों को उनके विभाग के नियमों के बारे में बताया जाता है । विभाग का अध्यक्ष कर्मचारी को उनके कर्तव्यों , उत्तरदायित्वों ,अधिकारों के बारे में सूचना भेजता है । **दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग** :-प्रशिक्षण की इस पद्धति के द्वारा कर्मचारियों को तस्वीर, चलचित्र , दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा वीडियो के द्वारा उनके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है । वीडियो फिल्म के द्वारा प्रशिक्षण आजकल अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है । **औपचारिक साधनों द्वारा प्रशिक्षण**:-प्रशिक्षण की पद्धति में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान देते हैं । औपचारिक प्रशिक्षण के समय पर प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक लिखित अनुदेश, सूचना, नियमावली आदि दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण में फिल्में ,दृश्य श्रव्य उपकरणों तथा कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है ।	